

(राजस्थान सरकार)

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)**

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 17/2024

पंजीकरण संख्या :- 2024/60

**बउनवान**

किशोर पुत्र प्रभूलाल काछी निवासी फूलबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारों  
(अपीलांट)

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबडौद  
(रेस्पोजेन्ट)

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थित :- 1. श्री गोविन्द गौतम अभिभाषक (अपीलांट)  
2. पेरोक़ार सरकार (रेस्पोजेन्ट)

**निर्णय दिनांक 24.05.2024**

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 437/2022 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2022 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट को वाके ग्राम फूलबडौदा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 में खसरा नम्बर 569 की रकबा 10 बिस्वा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 01 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 25/- रुपये तावान राशि से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 15.03.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोजेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर, प्रकरण में विवादित भूमि पर वर्तमान में कब्जा काश्त संबंधित रिपोर्ट तलब की गई, जिसके प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

**अपीलांट के अभिभाषक** ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अपीलांट ने उक्त विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलांट ने सरकारी चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है पटवारी हल्का द्वारा झूठी रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है। उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से दृष्ट्या ही काबिल खारजी है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में अर्थदण्ड जुर्माना जमा करा दिया है तथा अपीलांट को अब किसी भी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि निर्णय एवं दण्डादेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद निर्णय दिनांक 22.11.2022 मिसल नं. 437/2022 निरस्त फरमाते हुए अपीलांट को दोषमुक्त घोषित फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरुकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा संवत् 2079 में सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी संवत् 2078 रबी में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 800/2022 में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2022 की पालना में दण्डित किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट अनुसार संवत् 2079 ग्राम फूलबडौदा खसरा नंबर 569 की रकबा 10 बिस्वा किस्म चारागाह भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया गया है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद में उपस्थित रहा है। यह न्यायालय पेरुकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत है कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 437/2022 किस्म अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट बउनवान सरकार बनाम किशोर काछी में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( दिवांशु शर्मा )  
अति० जिला कलक्टर,  
बारों